UPBL010031242026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया।

उपस्थितः अनिल कुमार झा, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र सं0-1364/2026

बृजेश कुमार गुप्ता पुत्र सुग्रीव प्रसाद गुप्ता, साकिन-उकछी, थाना-पकड़ी, जिला-बलिया ।

..............प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....विपक्षी

मु0 अ 0 सं0-101/2026

धारा-118(2),351(3),3(5),124(2) बी.एन.एस.

थाना-गड़वार, जिला-बलिया

दिनांक- 10.07.2026

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रार्थी/अभियुक्त बृजेश कुमार गुप्ता जरिये विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुकदमा अपराध सं0-101/2026 अंतर्गत धारा-118(2),351(3),3(5),124(2) बी.एन.एस, थाना-गड़वार, जनपद-बलिया में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से शपथकर्ता सुग्रीव प्रसाद गुप्ता द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है न ही निस्तारित हुआ है ।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी अखिलेश कुमार पुत्र हरिहर प्रसाद ग्राम बड़सरी, पो०-बुढऊ, थाना गड़वार, जिला बलिया का निवासी है। वादी के चचेरा भाई अभय कुमार जो त्रिकालपुर मोड के पास पकौड़े की दुकान किए हैं दिनांक 20.04.2026 को समय 02.57 बजे तीन लोग आए, जिनमे एक नाम विष्णु उपाध्याय पुत्र छोटेलाल उपाध्याय व दो अन्य नाम पता अज्ञात दुकान पर आए और आपस में झगडा करने लगे तो वादी के चचेरा भाई अभय कुमार मना किया तो उसी बात को लेकर गर्म तेल की कढ़ाई उसके ऊपर फेंक दिए, जिससे वह जल गए, जिसे इलाज हेतु बलिया ट्रामा सेन्टर ले जाया गया, जहां से दिनांक 21.04.2026 को बनारस ट्रामा सेन्टर के लिए रेफर कर दिया गया है। विपक्षीगण मौके से ही जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। वादी के प्रार्थनापत्र पर संबंधित थाना गड़वार में प्रार्थी/अभियुक्त एवं दो अज्ञात के विरूद्ध उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा निर्दोष है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं है और न ही घटना का कोई मोटिव (हेतुक) दर्शाया गया है। आवेदक तथाकथित घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर का रहने वाला है। घटनास्थल का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वादी मुकदमा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में व्यथित व्यक्ति अभय कुमार का बलिया चिकित्सालय में इलाज हुआ है। अभय कुमार ट्रामा सेन्टर बी.एच.यू. नहीं गये हैं बल्कि घर पर रह रहे हैं। कोई गंभीर उपहति नहीं है जैसा कि डाक्टर द्वारा 20% जलना बताया है किसने जलाया यह अंकित नहीं है। विवेचक द्वारा धारा 118(2), 351(3), 3(5) बी.एन.एस. में आरोपपत्र प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा धारा 124(2) बी.एन.एस. की बढ़ोतरी करके संज्ञान लिया गया है तथा जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2026 को खारिज किया गया है। आवेदक जमानत मुचलिका देने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

6. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क दिया है कि घटना के दिनांक,

Digitally signed by ANIL KUMAR JHA
Date: 2026.07.10 19:06:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

समय एवं स्थान पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर दुकान लगाने के विवाद को लेकर वादी के चचेरे भाई अभय कुमार के ऊपर कढ़ाई का गर्म तेल डाल दिया गया, जिससे वह बुरी तरह झूलस गया। प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

7. पक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी का अवलोकन किया। प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों एवं इस स्तर पर केस डायरी में अंकित साक्षीगण के बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर दुकान लगाने के विवाद को लेकर वादी के चचेरे भाई अभय कुमार के ऊपर कढ़ाई का गर्म तेल डाल दिया गया, जिससे वह बुरी तरह झूलस जाने का अभियोजन कथानक है।

8- मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चुटैल अभय कुमार के शरीर पर निम्न चोटें आना दर्शित किया गया है-

A case of Thermal burn superficial to deep over Lt. upper limb along with Lt. chest and back of Lt. chest.

मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चुटैल जय प्रकाश गुप्ता के शरीर पर निम्न चोटें आना दर्शित किया गया है-

(i) Superficial burn appear in size 2.0cm x 2cm present dorsal aspect of left forearm 08cm above present left wrist joint.

(ii) Superficial burn appear in size 1.0cm x 1.0cm present left forearm dorsal aspect, 05cm above from left wrist joint.

(iii) Superficial burn appear in size 0.5cm x 0.2cm present left arm ...aspect over knew joint, left elbow joint 10cm below.

(iv) Superficial burn appear in size 0.5cm x 0.5cm present on the right shoulder.

डाक्टर की राय में चुटैल अभय कुमार के 20 प्रतिशत तक जलने के कारण उसे भर्ती कर इलाज करने की सलाह दी गई ।

9- गवाह अजीत कुमार सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में कथन किया है कि ग्राम त्रिकालपुर में वह सरकारी देशी शराब की दुकान का मालिक है। उसकी दुकान की देख-रेख वह तथा उसका भाई विनय कुमार करते है। वह दुकान की सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाया है। पहले उसकी दुकान गड़वार कस्बे में थी अब कस्बे से बाहर त्रिकालपुर तिराहे के आगे अमित कुमार सिंह के मकान में खोला है। दुकान के पीछे ग्राहकों की सुविधा के लिए चखना बेचा जाता है। चखना की दुकान जयप्रकाश गुप्ता अपने साथ अभय के साथ मिलकर करते है। दिनांक 20.04.2026 को दोपहर के समय विष्णु उपाध्याय, बृजेश गुप्ता व इन्द्रजीत यादव उसकी दुकान पर आए और चखना वाले से पूछे कि ये दुकान कौन चला रहा है, उसने बताया मैं चला रहा हूॅं। नाम पता पूछने के बाद तीनों लोग कहे कि यह दुकान तुम नहीं चलाओगे भाग जाओं यहां ये यहॉ पर मेरा आदमी दुकान चलायेगा। यही वाद विवाद करके कढ़ाई में खौल रहे तेल को लात से मारकर अभय और जयप्रकाश गुप्ता को जला दिए ।

10- मजरूब अभय कुमार के मर्म स्थल पर जलने का घाव पाया गया है एवं मजरूब जय प्रकाश गुप्ता के शरीर पर भी जलने का घाव पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

11- आदेशपत्र के मार्जिन पर अभिलिखित सत्र लिपिक की आख्यानुसार सह अभियुक्त विष्णु उपाध्याय का जमानत प्रार्थनापत्र सं०-989/26 दिनांक 21.05.2026 को गुण-दोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है।

12- अतः इस स्तर पर प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसे जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त बृजेश कुमार गुप्ता का उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(अनिल कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश
बलिया
ID No. UP 06529

दिनांकः 10.07.2026
स्टेनो-आर०के० यादव